भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 195*

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

असम में सीमेंट परियोजनाएं

195*. कुमारी सुष्मिता देव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन चल रहे एककों का ब्यौरा क्या है और असम के काटगोराह और बोकाजन में स्थित एककों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन एककों से कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया गया;

(ग) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूग्ण अथवा कार्य नहीं कर रहे एककों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की रुग्ण एककों के पुनरुद्धार और सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सभी चालू एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कार्य योजना है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत जी. गीते)

(क) से (घ): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"असम में सीमेंट परियोजनाएं" के बारे में कुमारी सुष्मिता देव, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.07.2014 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 195* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): देश के विभिन्न भागों में सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन चल रही यूनिटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. बोकाजन, जिला कारबी अंगलान्ग, असम।
2. राजबन, जिला- सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
3. तांदूर, जिला- रंगारेड्डी, तेलंगाना।

सिल्चर, कटिगोराह, असम में ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए वर्क आर्डर दे दिए गए हैं।

(ख): उपर्युक्त प्रत्येक यूनिट द्वारा उत्पादित की गई सीमेंट की मात्रा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मी. टन में)

एकक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (जून, 2014 तक)
बोकाजन	103335	133350	91655	18510
राजबन	140275	140360	125225	44035
तांदूर	610940	434295	619385	143355

(ग): सीसीआई की कार्य नहीं कर रहीं यूनिटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. मंधार, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. कुरकुंटा, जिला- गुलबर्ग, कर्नाटक।
3. नयागांव/नयागांव विस्तार, जिला- नीमच, मध्य प्रदेश।
4. अकलतारा, जिला- चंपा, छत्तीसगढ़।
5. चरखी दादरी, जिला- भिवानी, हरियाणा।
6. आदिलाबाद, जिला- आदिलाबाद, तेलंगाना।
7. दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, दिल्ली।

पुरानी प्रौद्योगिकी तथा कार्यशील पूंजी की कमी के कारण ये यूनिटें 1996-1999 के मध्य बंद/रुग्ण हो गईं हैं। तद्नुसार, सरकार द्वारा कार्य नहीं कर रहीं इन सभी सात यूनिटों को बंद करने और बेचने का निर्णय लिया गया था।

(घ): इस कंपनी के पुनरुद्धार हेतु एक योजना सरकार द्वारा अनुमोदित तथा बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। स्वीकृत की गई योजना में कार्य नहीं कर रहीं इन सात यूनिटों को बंद करने और बेचने की तथा चल रहीं तीनों यूनिटों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने की परिकल्पना की गई है। तद्नुसार, राजबन यूनिट की क्षमता-विस्तार का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। बोकाजन यूनिट के विस्तार तथा तांदूर यूनिट के उन्नयन के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, आदिलाबाद यूनिट को छोड़कर, कार्य नहीं कर रहीं यूनिटों को बेचने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आदिलाबाद एकक को बेचने की कार्रवाई, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के कारण शुरू नहीं की जा सकी है।

*****